न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नवनीत कुमार आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 65 / 2023 / बाड़मेर

अपीलांट	**रेस्पोडेंटगण**
कालुराम पुत्र पुंजाराम जाति दर्जी निवासी ढुंढा कवास तहसील व जिला बाड़मेर	1. रेखाराम पुत्र पुंजाराम जाति दर्जी निवासी ढुंढा कवास तहसील व जिला बाड़मेर 2. राज. राज्य जरिये तहसीलदार बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 43 / 2022 बअनवान रेखाराम बनाम कालूराम वगैरह में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 09.09.2022 के विरूद्ध पेश हुई।

1. वकील श्री पवन सिंहल अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री भगवानदास गोयल रेस्पोडेंट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—03.03.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उतरदाता संख्या 01 वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर यह अभिकथन किया था कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 का संयुक्त खातेदारी का खेत ग्राम सर का पार तहसील बाड़मेर में खेत खसरा संख्या 1168 / 613 रकबा 28.17 बीघा तथा मौजा अलाणियों की ढाणी तहसील बाड़मेर में खेत खसरा संख्या 1136 / 689 रकबा 19.10 बीघा हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि में वादी का 1 / 2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 01 का 1 / 2 हिस्सा है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 के हिस्से खुले हुए नहीं हैं। ऐसी स्थिति में वादी वादग्रस्त खेतों में अपना 1 / 2 हिस्सा खातेदारी का घोषित करवाने का अधिकारी है। इस आशय का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अपीलार्थी ने अभिकथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकतरफा पारित की गई.। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना निर्णय कर डिक्री पारित कर विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार बाड़मेर से तलब करने का आदेश

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भारी कानूनी एवं तथ्यों की भूल की गई, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को जबावदावा पेश. करने का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मूल वाद में तनकीयात कायम नहीं की गई जबकि निर्णय तनकीवार पारित किया गया जाना आज्ञापक है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया जबकि अपीलांट को प्राकृतिक न्याय एवं साम्या के सिद्धांतों के अनुसार सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाना अतिआवश्यक था किन्तु नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायायल द्वारा अपीलांट को अपनी शहादत पेश करने कोई अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते वक्त कानूनी प्रावधानों की अनदेखी करके पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के विपरीत है। विभाजन प्रस्ताव को राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955 के नियम 18 से 21 की प्रक्रिया अनुसार तैयार किया जाना बाध्यकारी है परन्तु इस प्रकरण में इन नियमों की सर्वथा अनदेखी की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जो न्यायोचित है। हिस्सों को लेकर अपीलांट द्वारा किसी भी प्रकार का उजर पेश नहीं किया गया। अपीलांटस द्वारा हस्तगत प्रकरण को अनावश्यक लंबा करने की नियत से यह अपील पेश की। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आराजी में वर्णित समस्त संयुक्त खातेदारों के हिस्सों ध्यान में रखते हुए निर्णय पारित किया गया। अपीलाधीन डिक्री में किसी भी प्रकार की कानूनी कमी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

वकील अपीलांट धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर अपनी बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय रूप से पारित किया गया।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

जिसकी जानकारी अपीलकर्ता को तत्समय नहीं रही। अपीलकर्ता अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर पत्रावली में पेशी तारीख का पूछने हेतु रीडर से मिला तब रीडर द्वारा अपीलकर्ता को उक्त प्रकरण में विभाजन प्रस्ताव मंगवाने व तहसीलदार द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत करने का बताया गया जिस पर अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 09.06.2023 को उक्त पत्रावली की नकले मांगी जो नकल दिनांक 13.06.2023 को प्राप्त हुई तब सर्वप्रथम उक्त अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। अपीलांटस को सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी हुई जिससे यह अपील अन्दर म्याद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने मियाद अधिनियम के बिंदु पर अपनी बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं। अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन का हिसाब अपीलांट द्वारा नहीं दिया गया है। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की लिमिटेशन के बिंदु पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी द्वारा जबाव दावा पेश किया गया। अपीलांटस द्वारा हाजा न्यायालय के समक्ष पेश अपील व अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश जबाव दावे में हिस्से को लेकर को आपति पेश नहीं की गई। हाजा न्यायालय द्वारा अपीलांटस को पूर्ण सुनवाई का अवसर दिया गया लेकिन हिस्सों को लेकर अपीलांटस द्वारा किसी भी प्रकार का उजर ऐतराज नहीं किया गया जबकि प्राथमिक डिक्री में हिस्सों की ही घोषणा की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री बाद समुचित सुनवाई के पश्चात पारित की गई। मातहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में पक्षकारों के राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार हिस्सों की घोषणा की गई। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार पारित की गई। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में किसी भी प्रकार की वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पालन करते हुए पारित की गई। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 43/2022 बअनवान रेखाराम बनाम कालूराम वगैरह में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 09.09.2022 को यथावत रखा जाता है। अपीलांटस को न्यायहित में विभाजन प्रस्ताव पर सुनवाई का अवसर दिया जाकर उभयपक्षकारान को सूचित करते हुए भूमिधारक तहसीलदार बाड़मेर स्वयं मौके पर जाकर राजस्थान काश्कारी अधिनियम एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पूर्ण पालना करते हुए भूमि की गुणवता/स्थायी आलामत के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार माफिक प्राथमिक डिक्री दिनांक 09.09.2022 के अनुसार बाई मिटस एण्ड बाउंड विभाजन प्रस्ताव तैयार कर मातहत अदालत में पेश करे तत्पश्चात मातहत अदालत नियमानुसार गुणावगुण पर निर्णय पारित करे।

3/3/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह निर्णय आज दिनांक 03.03.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

3/3/2025

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर